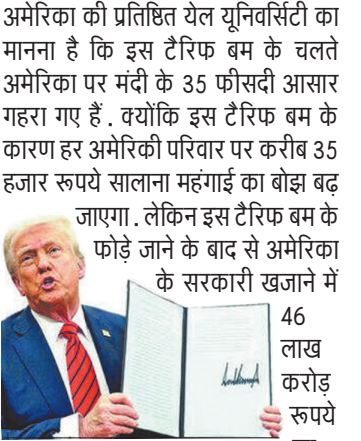


व्यापार के मामले में मित्र देश, शत्रु से भी ज्यादा बदतर हैं

आखिर फूट गया अमेरिका का टैरिफ बम...!

मंदी के आसार महंगाई भी बढ़ेगी



अमेरिका की प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी का मानना है कि इस टैरिफ बम के चलते अमेरिका पर मंदी के 35 फीसदी आसार गहरा गए हैं . वर्योक्ति इस टैरिफ बम के कारण हर अमेरिकी परिवार पर करीब 35 हजार रुपये सालाना महंगाई का बोझ बढ़ जाएगा . लेकिन इस टैरिफ बम के फोड़े जाने के बाद से अमेरिका के सरकारी खजाने में

इजाफा होगा . अमेरिकी सरकार संपन्न होगी, लेकिन इस बम के नतीजे से अमेरिकी नागरिकों की क्रयशक्ति में कमी आएगी . जहां तक भारत की बात है, तो हम पर इससे करीब 35 अरब रुपये का बोझ बढ़ेगा . हालांकि इससे भारत को फायदा भी हो सकता है . भारत का जिन 10 देशों के साथ सबसे ज्यादा व्यापार है, उनमें से अकेले अमेरिका ही वह देश है, जिसके साथ हमारा व्यापार फायदे में हैं . बाकी सब देशों के साथ हमारा व्यापार घाटे में हैं . अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया है, उसे देखते हुए चीन भारत से ज्यादा आयात की सोच रहा है .

कारखाने अमेरिका लौटेंगे. ट्रंप का मानना है कि कई देशों ने अमेरिकी बाजार का फायदा लेकर खुद को समृद्ध बनाया, लेकिन अमेरिकी सामान के लिए अपने बाजार में सख्ती लगा दी है. अब ऐसा नहीं चलेगा. अब अमेरिका भी अपने फायदे के बारे में सोचेगा. इसका सबसे बड़ा शिकार कंबोडिया हुआ है. अमेरिका अब कंबोडिया से आयातित वस्तुओं पर 49 फीसदी और चीन से आयात होने वाले सामान पर 34 फीसदी शुल्क वसूलेगा. अमेरिकी राष्ट्रपति इसे अपना एक कठोर निर्णय मानते हैं, लेकिन वह यह भी कहते हैं कि उनके पास इसका कोई विकल्प भी नहीं था. उनके मुताबिक व्यापार के मामले में मित्र देश, शत्रु से भी ज्यादा बदतर हैं.

–नौशाबा परवीन

वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद गुरुवार को राज्यसभा में भी पारित हो गया. जाहिर है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह बिल कानून बन जाएगा . वक्फ बिल का विरोध करने वाले सांसद, राजनीतिक दल और सामाजिक, धार्मिक संगठन यह बताने में विफल रहे हैं कि इस बिल का संशोधन गैर सवैधानिक और किसी धर्म विशेष के अधिकार में हस्तक्षेप वर्यो और कैसे है? वक्फ बोर्ड कानून में अनेक बार संशोधन हो चुके हैं . कोई भी संशोधन संसद की मंजूरी के बाद ही कानून का रूप लेता है .ऐसे में यह कैसे कहा जा सकता है कि मौजूदा सरकार संशोधन करके संविधान विरोधी काम कर रही है? जहां तक धार्मिक हस्तक्षेप का प्रश्न है तो दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में से 53 मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड जैसी कोई संस्था नहीं है . यह संस्था केवल भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ही है, जहां मुगल सल्तनत थी और जहां अंग्रेजों ने राज किया .

दरअसल, 12 वीं सदी में दिल्ली सल्तनत

वक्फ बिल ; धार्मिक भावनाओं को भड़कने से बचें

के समय वक्फ मजलिस की सबसे पहले स्थापना हुई .इसे 1935 में अंग्रेजों ने संस्थागत कानूनी रूप दिया . हमारी संविधान सभा ने 1935 के ब्रिटिश एक्ट के इस वक्फ कानून को खारिज कर दिया . यानी हमारे मूल संविधान का वक्फ कानून था ही नहीं .आजादी के बाद 1954 में पहली बार वक्फ एक्ट बना और फिर साल 1995 में इस एक्ट में कुछ संशोधन किए गए . डॉ मनमोहन सिंह के समय फिर नया वक्फ एक्ट बना और इसमें साल 2013 में भी कई बदलाव किए गए .

यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि यूपीए सरकार के समय 2006 की जॉरिस्टस सचवर कमेट्री की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर ही गुरुवार को पारित एक्ट में अधिकांश बदलाव किए गए हैं . सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को धार्मिक संस्था नहीं बल्कि

धार्मिक संपत्ति का प्रबंध करने वाली संस्था माना है .बहरहाल, नए बिल के कानून बन जाने के बाद वक्फ की संपत्ति का विवाद सुलझाने में अब राज्य सरकारों को पहले से अधिक शक्तियां हासिल होंगी . हालांकि प्रस्तावित कानून का असर पुरानी मस्जिदों, दरगाहों या मुसलमानों के धार्मिक संस्थानों पर नहीं पड़ेगा . दरअसल, 2013 के वक्फ एक्ट में कई विसंगतियां थी . उसमें प्रावधान था कि वक्फ संपत्तियों के विवाद केवल वक्फ ट्रिब्यूनल में ही सुलझाए जा सकते हैं .ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम माना जाएगा . इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती . यही वह प्रावधान था जिसका लंबे समय से दुरुपयोग हो रहा था .

स्थिति यह थी कि भारतीय संसद भवन, ताज महल और कोलकाता एयरपोर्ट को भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया था .

जाहिर है कोई भी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य इस तरह की विसंगतियों को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था . इसलिए इसमें बदलाव किए गए हैं . प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा 2023 में प्रस्तुत विधेयक को जेपीसी में 6 महीने तक विचार के लिए रखा गया . इस दौरान देश भर के सभी मुस्लिम संगठनों ने अपनी राय दी है . इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस विधेयक को जल्दबाजी में लाया गया . संसद में पारित प्रत्येक कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है .

जाहिर है विरोध करने वाले सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं . बहरहाल, अब जब यह बिल कानून बनने जा रहा है तो सभी राजनीतिक दलों, सभी पक्षों के धार्मिक नेताओं और सामाजिक संगठनों को चाहिए कि भड़काऊ बयान बाजी बंद करें . देश के लिए यही अच्छा है कि विधायिका और न्यायपालिका को अपना काम करने दिया जाए .

संशोधन बिल दोनों सदन से पारित



दिलीप झा

दोनों सदन से वक्फ संशोधन बिल 2025 पास होने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि अब वक्फ में लूट की छूट हमेशा के लिए बंद हो गई और वे मनमानी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इससे पूर्व पूरे देश में वक्फ बोर्ड के क्रियाकलापों से परमर्दाद मुस्लिम समाज के लोग भी आहत थे ।? वक्फ की प्रॉपर्टी में करोड़ों अरबों की गड़बड़ी की बात वर्षों से हो रही थी और यह बात सभी दलों के नेताओं को मालूम है । लेकिन वे वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर दृढ़ संकल्पित नहीं थे । क्योंकि उन्हें डर था कि बोर्ड की मनमानी पर अंकुश लगाने से मुस्लिम वोटबैंक उनसे खिसक न जाए । हालाँकि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार आने के बाद वक्फ बोर्ड को यह अहसा ज़रूर हो गया था कि बीजेपी के शासनकाल में उनकी ज्यादाती

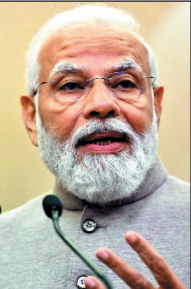
बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है ।

लोकसभा में बुधवार को पास होने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजु ने गुरुवार दोपहर एक बजे राज्यसभा में पेश किया और इस पर चर्चा की शुरुआत हुई । इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने वक्फ संशोधन बिल के संदर्भ में अपने विचारों को रखा । वहीं, सरकार ने स्पष्ट किया कि वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी ने एक करोड़ से अधिक सुझावों को शामिल किया गया । मंत्री किरेन रिजिजु ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास करने की अपील करता हूं । 12 घंटे की बहस के बाद इस पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई ।? इस दौरान आरजेडी के मनोज झा, एनसीपी की फौजिया खान एवं कांग्रेस के नासिर हुसैन के संशोधन प्रस्ताव खारिज हो गए । वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 125 और इसके खिलाफ में 95 आंकड़े थे । राज्यसभा में वोटिंग के बाद एनडीए को बिल में संशोधन के लिए बहुमत का 119 आंकड़े चाहिए था । नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल को पारित करवा कर यह सिद्ध पक्कर दिया कि गठबंधन दल उनके साथ एकजुट है । वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 मत पड़े । इस तरह से राज्यसभा में भी विपक्ष का संशोधन प्रस्ताव गिर गया । दरअसल, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर सरकार की मंशा सही है । हमें यह



भी स्वीकार करना चाहिए कि इस बिल के पास होने से करोड़ों पसमांदा मुसलमानों के जीवन में व्यापक बदलाव आएगा । इस बोर्ड में अब पसमांदा मुसलमानों को जोड़ दिया गया है । अभी तक उन्हें इस बोर्ड से दूर रखा गया था । जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पसमांदा मुस्लिम बहुल ज्यादा संख्या में हैं । पसमांदा का एक फारसी शब्द है और इसका अर्थ होता है पीछे छूट गए लोग । उनके पीछे रहने की वजहों में से एक बड़ा कारण मुसलमानों में भी जाति व्यवस्था बलाई जाती है ।

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के कुल मुस्लिम वोटबैंक में 85 फीसदी शेयर वाले पसमांदा समाज को साधने के लिए बड़ा दांव चल दिया है । उन्होंने भोपाल में वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि पसमांदा मुसलमानों को वोटबैंक की राजनीति करने



वालों ने जीना मुश्किल करके रखा हुआ है । उनको तबाह करके रखा है । उसी समय पीएम मोदी ने तय कर लिया था कि कमजोर और सताए मुसलमानों के जीवन में कैसे सुधार लाएंगे और कहां से उनके लिए फंड की व्यवस्था होगी । मोदी ने 2029 के आमचुनाव की तैयारी को देखते हुए राजनीतिक शतरंज की बड़ी चाल चल दी है, इसलिए विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त बौखलाहट है । पूरे देश में 19.3 फीसदी मुसलमान हैं और लोकसभा की 49 सीटों पर उनकी निर्णायक भूमिका होती है क्योंकि इन सीटों पर 15 से 20 फीसदी मुस्लिम हैं । वर्ष 2019 में 5 फीसदी मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट किया था जो 2024 में बढ़कर 12 फीसदी हो गया । जाहिर है चुनाव में जीत के जादूगर मोदी ने वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पारित करवा कर बहुत बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक लगा दिया है ।

(लेखक नवभारत भोपाल के संपादक हैं)

अब उपलब्ध होगी ई-बाइक टैक्सी

महाराष्ट्र के 1,00,000 से अधिक आबादी के शहरों में ई-बाइक टैक्सी सेवा को राज्य सरकार ने अनुमति दी है . पहले सिर्फ गोवा में मोटर साइकिल टैक्सी थी, लेकिन अब रमनाथ झा समिति की सिफारिश के अनुसार राज्य में ई-बाइक टैक्सी को मान्यता दी गई है . बैंगलूर में भी ऐप आधारित टू व्हीलर टैक्सी चल पड़ी हैं . इस तरह की टैक्सी की उपयोगिता यह है कि संकरे और भीड़ भरे रास्ते पर भी यह अपना मार्ग सुगमता से बना लेती है . इसका सफर किफायती होता है और कुछ किलोमीटर की दूरी के लिए सुविधाजनक होती है . पुणे जैसे शहर में, जहां सड़कें कम चौड़ी हैं, वहां इसका चलन बढ़ा है . इसमें वालक और पीछे बैठे प्रवासी दोनों को हेलेमेट लगाना ज़रूरी है . ई-बाइक से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार का साधन मिल जाएगा . अभी टू व्हीलर वाले युवा गिग वर्कर के तौर पर झोमेटो, रिवीग आदि के लिए सेवा देते हैं . खाद्य सामग्री या ऑनलाइन मंगाए सामान



लाभू होगी . यह भी संभव है कि आटोवालक संगठन इसके खिलाफ आंदोलन करें . वर्योक्ति ई-बाइक टैक्सी कम खर्च में यात्रियों को ले जाएगी . किफायती दर स्पष्ट नियमों और खुली प्रतिस्पर्धा के अलावा कुशल सेवा से ई-बाइक सेवा लोकप्रिय हो सकती है . छात्रों या अकेले व्यक्ति के लिए यह प्रवास का सुगम साधन होगा .

घरों तक पहुंचाते हैं, लेकिन ई-बाइक से उन्हें यात्री सेवा की सुविधा मिल जाएगी . ई-बाइक योजना की शर्त है कि कम से कम 50 आवेदक एक साथ आने पर इस टैक्सी सेवा की अनुमति दी जाएगी . इसके अलावा यात्री की सुरक्षा, हेलेमेट का इस्तेमाल और महिला सुरक्षा का ध्यान रखा होगा . यद्यपि यह सेवा सस्ती होगी फिर भी आरटीओ से इसकी कीमतया दर निश्चित करनी होगी . आटो रिक्शा के समान पीली नंबर प्लेट, बैज लगाने की अनिवार्यता तथा पुलिस की जांच-पड़ताल भी ई-बाइक टैक्सी के लिए लागू होगी .

निशानेबाज

25 घंटे भाषण देने का रिकार्ड ऐसे वक्ता को मिलना चाहिए अवार्ड



जाता है . उन्हें रेस्ट या आराम लेना ही नहीं था. 55 वर्ष के कोरी बुकर पुराने एश्वलीट या क्रीड़ापटु रहे हैं . इस रिकार्डोईटु लंबे भाषण से आप उनकी ऊर्जा का अंदाजा

लगा सकते हैं .

हमने कहा, पं. नेहरू के शासनकाल में उनके विदेशमंत्री वीके कृष्णमेनन ने भी ऐसा ही रिकार्ड बनाया था. यूएन जनरल असेंबली में कश्मीर मुद्दे पर

पाकिस्तान और पश्चिमी देशों को खरी-खोटी सुनाते हुए कृष्णमेनन ने लगातार 16 घंटे का भाषण दिया था. सिर्फ बीच-बीच में वे काली कॉफी का घूंट पी लिया करते थे. तत्कालीन अमेरिकी विदेशमंत्री जॉन फॉर्स्टर डलेस से मेनन की जमकर बहस हुआ करती थी. बुकर ने भी अपने लंबे भाषण में प्रेसीडेंट ट्रंप और उनके अलोकतांत्रिक आदेशों की भरपूर खिंचाई की. अच्छे वक्ताओं के पास तथ्यों और तर्कों की कमी नहीं होती. जब उन्हें 2 शब्द बोलने के लिए मंच पर बुलाया जाता है, तो वो 2 लाख शब्द बोलने पर उतर आते हैं. उनके दिमाग और जुबान में कोई थकावट नहीं आती. जिस तरह लंबी मैराथन दौड़ होती है, वैसा ही मैराथन स्पीच भी होता है. कुशल वक्ता अच्छे-अच्छों का तख्ता हिलाकर रख देता है.

संपादकीय बोर्ड

| प्रबंध संपादक : सुमिit माहेश्वरी, समूह संपादक : ऋाति चतुर्वेदी

शब्द-सागर : डॉ. सागर खादीवाला

CROSS WORD11863

-डॉ. सागर खादीवाला

1	2	3	4	5
		6		7
8	9		10	11
			12	13
15			16	
19	20	21		18
23			24	

ऊपर से नीचे

1. चास कपड़े आटे या मिट्टी आदि का बना हुआ मनुष्य का आकार या मूर्ति, बुत, प्रतिमा 2. रह-रहकर होने वाली पीड़ा, टांस 3. सिहरन, कंपकंपी, थराहट, डर, भय 4. भय, खौफ 5. मनवालापन, मस्त होने का भाव 9. यदि ऐसा है ही, अगरचे (सं.) 11. किशमिश बादाम आदि सुखाए हुए बड़िया फल 12. आज़ा 14. अफवाह, बदनामी, कोलाहल (सं.) 15. पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने का गुण 16. असभ्यता, जंगलीपन, पागलपन 18. कष्ट, पीड़ा 20. छोटा या पतला नल, बंदूक का अगला भाग 21. अल्प, थोड़ा.

Solution 11862

वि	कू	त		वि	मि	म	य
प्र	ति	मा		आ		सा	की
ता		शा	स	न		न	न
प	र्व	मा		म			
		अ	ज	ग	र		ह
फु	ल	का		ना	वि	क	
ता		र	स	द	मा	ला	
ना		थ	र	वि	ता	ना	

ज्योतिषाचार्य प्रियंका नारायणशंकर व्यास, कोतवाली बाजार, जबलपुर (म.प्र.)

आज जिनका जन्मदिन है

वर्ष के प्रारंभ में अध्ययन में रूचि रहेगी. मित्र तथा भाईयों का सहयोग मिलेगा. वर्ष के मध्यमें व्यापार मेंसफलता मिलेगी. शासन सत्ता से सुख प्राप्त होगा. वर्ष के अन्त में आजीविका के क्षेत्र में भागदौड़ करना होगी. शासन सेसुख प्राप्त होगा. जमीन जायजाद के मामलों में व्यस्तता रहेगी. पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी.

मेघ और वृश्चिक राशि के व्यक्तियों को शासन से लाभ प्राप्त होगा. वृष और

मेघ-

जटिल कार्य सहज में ही पूरे होंगे, जिम्मेदारी आने से व्यस्तता बढ़ जायेगी, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा, आय का नया साधन उपलब्ध हो सकता है.

वृषभ-

अनुभवी लोगों की सलाह से लाभ होगा, घर की साज सज्जा पर खर्च होगा, भ्रम एवं प्रयास करने से सफलता मिलेगी, पारिवारिक कार्यों में अधिकता रहेगी.

मिथुन-

विरोधी खुलकर विरोध कर सकते हैं, मित्रों की उपेक्षा न करें, कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो सकती है, अधिकारियों का सहयोग रहेगा.

कर्क-

भावनात्मक सम्बन्धों में रह रहा गतिरोध दूर होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे, जारी प्रयासों में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्वों की पूर्ति होगी.

सिंह-

खानपान की लापरवाही से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, अधिक जोश में सावधानी रखें. धन एवं पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, राजनैतिक दायित्व आ सकता है.

कन्या-

कार्यक्षेत्र की उलझने दूर होंगी, आय के साधन बढ़ेंगे धार्मिक प्रवास होगा, यातायात के साधनों में वृद्धि होगी. नवीन योजना बनेगी.

तुला-

भाग्य के भरोसे रहे तो अच्छे अवसर गंवा देंगे, मनमौजी रवैया तरक्की में बाधक होगा, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, चोट चपेट आदि से कष्ट होगा.

वृश्चिक-

लोगों को अपनी बात समझाने का प्रयास, भावुकता निर्यंत्रण रखें, जमीन जायजाद प्राप्ती आदि की प्राप्ति होगी, उच्च अध्ययन के लिये यात्रा होगी.

आज जन्मे शिशु का भविष्य

आज जन्म लिया बालक स्वाभाव से चंचल, मिलनसार होगा, ईश्वर तथा गुरुजनों का भक्त होगा, संतान की संख्या अधिक होगी, लेखन, एवं साहित्य का संग्रह करेगा, नौकरी में विशेष तरक्की होगी, माता पिता को सुखी रखेगा.

धनु-

नई योजनाओं की शुरुआत में परेशानी होगी, उच्च अध्ययन के लिये यात्रा होगी, किसी पुराने व्यक्ति से काम की योजना बनेगी, धार्मिक कार्यों में रूचि रहेगी.

मकर-

अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, आर्थिक योजनाओं में वृद्धि होगी, दूर दायज की यात्रा करना होगी, नवीन कार्य प्रारंभ होगा.

कुम्भ-

विवादों केकारण कर्ज लेना पड़ सकता है, प्रतिगोष्ठी परीक्षा में सफलता मिलेगी, भावुकता केकारण दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है.

मीन-

जल्दबाजी में किये फैसले बदलने पड़ सकते हैं, नये संपर्कों से लाभ होगा, नियोजित कार्य पूरा होने से मन में हर्ष होगा, अतिथि आगमन होगा.

SUDOKU6995

2	9		3	1				8
3	6			2		7		9
		7			6		2	1
	7		1					
1	3							7
					5			4
6	2		4				9	
5		6		9			1	8
1				5	3		6	4

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक है. इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है. आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 333 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें. ■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते. ■ पहली का केवल एक ही हल है.

नवभारत स्प-टिफ्ट 6994

3	9	7	5	1	4	6	8	2
1	2	8	6	9	3	4	5	7
6	4	5	2	8	7	1	3	9
5	7	3	4	6	9	2	1	8
2	1	9	7	5	8	3	4	6
4	8	6	3	2	1	7	9	5
9	3	2	8	4	6	5	7	1
7	6	1	9	3	5	8	2	4
8	5	4	1	7	2	9	6	3